(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110 002

No.F3(15)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/ 27 Dated 16/7/20

Notification No 27/2019- State Tax (Rate)

No. F.3 (15)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/ - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-1), No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, *vide* number No. F.3 (15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/382, dated the 30th June, 2017, namely:
In the said notification, -

(a) in Schedule II - 6%, serial numbers 80AA and 171A and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) in Schedule III - 9%, after serial number 163A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:

ACCP)

"163B	3923 or 6305	Woven and non woven bags and sacks of polyethylene or polypropylene strips or the like, whether or not laminated, of a kind used for packing of goods;
163C	6305 32 00	Flexible intermediate bulk containers".

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2020.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi.

Ms. Poonam Gahlot | Ms. Rohit
and
EDP cell
20/7/2020

(Sunil Sehgal)
Dy. Secretary IV (Finance)

No.F3(15)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/ 27 Dated 16/7/20

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
2. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
3. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.

4. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. Guard File.
11. Website.

(Sunil Sehgal)
Dy. Secretary IV (Finance)

Note: - The principal notification No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, *vide* number No. F.3 (15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/382 , dated the 30th June, 2017and was last amended by notification No. 14/2019-State Tax(Rate), dated the 3rd October, 2019, published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, *vide* number No. F.3 (68)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/465, dated the 3rd October, 2019.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व–1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई. पी. इस्टेट: नई दिल्ली–110 002.

सं.फा. 3(15)/वित्त(राजस्व–I)/2020–21/डीएस–IV/127 दिनांक: 16/7/20

अधिसूचना सं. 27/2019–राज्य कर (दर)

सं.फा. 3(15)/वित्त(राजस्व–I)/2019–20/डी.एस. IV/ –दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व–1) की अधिसूचना संख्या 1/2017–राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं.फा.3(15)/ वित्त (राजस्व–1)/2017–18/382 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण भाग–4 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा–

उक्त अधिसूचना में,–

(क) अनुसूची II – 6% में कम संख्या 80 कक और 171क और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) अनुसूची III – 9% में, कम संख्या 163क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित कम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:–

(1)	(2)	(3)
"163ख	3923 या 6305	पॉलिइथीलीन या पॅलिप्रोपाइलीन स्ट्रिप्स और इसी प्रकार के पदार्थों से बने व्यूतित और अव्यूतित बैग्स और सैक्स, चाहे ये लेमिनेटेड हों या नहीं, जिनका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में किया जाता हो,
163ग	6305 32 00	फ्लैक्सिबिल इंटरमीजिएट बुल्क कंटेनर्स"।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2020 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

सुनील

(सुनील सहगल)
उप सचिव–IV (वित्त)

सं.फा. 3(15)/वित्त(राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV/27 दिनांक 16/7/20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
4. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।
5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।
11. वेब साईट।

(सुनील सहगल)
उप सचिव– IV (वित्त)

टिप्पण: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017–राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को स.फा.3(15)/वित्त (राजस्व–1)/2017–18/डीएस–VI/382 दिनांक 30.06.2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग–4 में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2019–राज्य कर (दर), दिनांक 03.10.2019, सं. फा. 3(68)/वित्त(राजस्व–I)/2019–20/डीएस–VI/465, दिनांक 03.10.2019 को दिल्ली के राजपत्र, असाधारण भाग–4 में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।